GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Tuesday, 03 Sep , 2024

Edition: International

Table of Contents

Page 03 **Syllabus : GS 3 : विज्ञान और प्रौद्योगिकी**	स्वदेशी मवेशियों के आनुवंशिक खाके का मानचित्रण करने के लिए अगली पीढ़ी की अनुक्रमणिका
Page 05 **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति**	हाउस पैनल के नियंत्रण के लिए व्यस्त वार्ता
Page 05 **Syllabus : GS 2 : भारतीय राजनीति**	HC में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग सीमित बना हुआ है
Page 10 **Syllabus : प्रारंभिक तथ्य**	RBI द्वारा एकीकृत ऋण इंटरफ़ेस क्या है?
समाचार में टर्म	तंजावुर वीणा
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : GS 3 : आपदा और आपदा प्रबंधन**	आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक पेचीदा है

Page 03 : GS 3 – Science and Technology

राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान (NIAB) उन्नत आनुवंशिक तकनीकों का उपयोग करके स्वदेशी मवेशियों की नस्लों के संरक्षण और पशुधन रोगों से निपटने के लिए टीके विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है।

- DBT की 'BioE3' नीति के तहत, NIAB एक स्थायी जैव-अर्थव्यवस्था के लिए पशुधन स्वास्थ्य, निदान, जैव-अणुओं और वैकल्पिक प्रोटीन में जैव-विनिर्माण और नवाचारों को बढ़ावा देता है।

Next-generation sequencing to map genetic blueprint of indigenous cattle

V. Geetanath
HYDERABAD

The National Institute of Animal Biotechnology (NIAB) is working to decode the genetic blueprints for conservation of indigenous cattle breeds using Next Generation Sequencing (NGS) data and genotyping technology to establish molecular signatures for registered cattle breeds. Institute Director G. Taru Sharma said the process will help in the cattle breeds purity for identification and conservation. The focus has also been on developing new generation vaccine platforms against livestock diseases crucial for animal health and reducing economic losses due to disease outbreaks, such as brucellosis in livestock and its impact on public health.

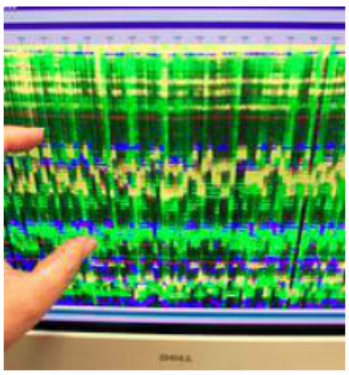

The focus is on developing new generation vaccine platforms against livestock diseases. AP

The NIAB, working under the Department of Biotechnology (DBT), research and development efforts are well tuned towards 'BioE3 (Biotechnology for Economy, Environment and Employment) policy to boost bio-manufacturing in through biotechnological interventions to position the country as a global leader, she said.

"We are keen to handhold the industry and biotech start-ups towards transforming the country's livestock-based economy not only for food/feed security but also for developing animal vaccines, diagnostics and new generation biomolecules," said Dr. Sharma, in an exclusive interaction.

A good number of 'bioscaffolds' (for repairing tissues), both natural as well 3D printed, are being produced for cell/drug delivery, bio-banking and using animal stem cells enriched scaffolds as various therapeutic interventions. A 'bovine primary lung cell-based 3D-pulmosphere model' was developed for superior modelling of bovine tuberculosis and to establish anti-TB drug screening platform.

Scientists here are also working on generating biomarkers of susceptibility and resistance to TB in native and crossbred cattle. The DBT has outlined six thematic verticals for a circular bio-based economy to promote bio-manufacturing in sync with the newly announce Bio E3 policy including smart proteins or alternative proteins derived from animal/plant/cell/fermented-based sources recognized as a sustainable alternative, she pointed out.

In this context, NIAB has plans to use bacteriophages and their 'lytic' proteins as antibiotics alternatives to target mastitis pathogens such as staphylococci, E. coli and streptococci.

समाचार का विश्लेषण:

- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी (NIAB) नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसिंग (NGS) और जीनोटाइपिंग तकनीक का उपयोग करके देशी मवेशियों की नस्लों के आनुवंशिक ब्लूप्रिंट को डिकोड करने के लिए काम कर रहा है।

नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसिंग (NGS)

- नेक्स्ट जेनरेशन सीक्वेंसिंग (NGS) एक उन्नत DNA सीक्वेंसिंग तकनीक है जो आनुवंशिक सामग्री का तेज़ और उच्च-थ्रूपुट विश्लेषण सक्षम बनाती है।
- यह लाखों DNA टुकड़ों की एक साथ सीक्वेंसिंग की अनुमति देता है, जिससे जीनोम, ट्रांसक्रिप्टोम और एपिजीनोम में विस्तृत जानकारी मिलती है।
- NGS का व्यापक रूप से जीनोमिक्स अनुसंधान, नैदानिक निदान और जैव विविधता अध्ययनों में उपयोग किया जाता है, जो पारंपरिक सीक्वेंसिंग विधि की तुलना में तेज़, अधिक लागत प्रभावी और सटीक आनुवंशिक डेटा प्रदान करता है।
- इसका लक्ष्य पहचान और संरक्षण के लिए पंजीकृत मवेशी नस्लों के लिए आणविक हस्ताक्षर स्थापित करना है।
- NIAB पशुओं के स्वास्थ्य और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए महत्वपूर्ण ब्रुसेलोसिस जैसी पशुधन बीमारियों के लिए अगली पीढ़ी के वैक्सीन प्लेटफ़ॉर्म विकसित कर रहा है।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) के तहत संस्थान, जैव-विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 'बायोई3' नीति के साथ अपने प्रयासों को संरेखित करता है।
- एनआईएबी का उद्देश्य टीकों, निदान और जैव अणुओं के माध्यम से पशुधन-आधारित अर्थव्यवस्था को बदलने में बायोटेक स्टार्ट-अप का समर्थन करना है।
- बायोई3 नीति के तहत छह विषयगत कार्यक्षेत्र वैकल्पिक प्रोटीन सहित परिपत्र जैव-आधारित अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

UPSC Prelims PYQ : 2020

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भावी माता-पिता के अंडों या शुक्राणुओं का उत्पादन करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं।
2. किसी व्यक्ति के जीनोम को जन्म से पहले प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में संपादित किया जा सकता है।
3. मानव-प्रेरित प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को सुअर के भ्रूण में इंजेक्ट किया जा सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2
(d) 1,2 और 3

उत्तर: d)

सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद के कारण 18वीं लोकसभा के लिए संसदीय स्थायी समितियों के गठन में देरी हो रही है।

- विवादास्पद समितियों में विदेश मामले, वित्त और रक्षा शामिल हैं। इन मतभेदों के कारण राजनीतिक गतिरोध पैदा हो गया है।

Hectic negotiations on for control of House panels

Nearly three months after Lok Sabha polls, Standing Committees have not been formed owing to disagreements between the government and the Opposition over who would chair the panels

Sobhana K. Nair
NEW DELHI

Nearly three months into the 18th Lok Sabha, the Department-related Parliamentary Standing Committees have not been constituted because of disagreements between the Union government and the Opposition, on control of these panels.

There are 24 Department-related Parliamentary Standing Committees. Sixteen of them fall under the ambit of the Lok Sabha and are chaired by Lok Sabha MPs, while eight are under the Rajya Sabha.

The Congress, according to its numerical strength, is entitled to chair four committees – three in the Lok Sabha and one in the Rajya Sabha. According to sources, the Congress was keen to chair committees on External Affairs, Finance, and Defence, but the government outrightly rejected the demand. The Congress later conveyed it would settle for at least one of these, but the government rejected this proposal too. Instead, it offered Rural Development; Housing and Urban Affairs; and Labour, Textiles, and Skill Development.

Talks on: The Congress is entitled to chair four committees — three in the Lok Sabha and one in the Rajya Sabha. FILE PHOTO

Rajya Sabha panels

Among the eight panels headed by Rajya Sabha members, the Congress has demanded the committee on Home Ministry. The government instead is offering Science and Technology, Environment and Forests, which Congress leader Jairam Ramesh headed in the last term.

Among other Opposition parties, the Trinamool Congress, the Samajwadi Party, and the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) will get to head one committee each. The Trinamool has been silent on its choice, claiming that it never negotiates on the issue. Trinamool's Parliamentary Party Leader in the Rajya Sabha, Derek O'Brien, said that he had not received a response to two letters he wrote to the government seeking clarity on the issue. "The BJP wants to turn Parliament into a deep, dark chamber. It's been exactly three months since the election results. No signs of committee being formed," Mr. O'Brien told *The Hindu*.

Sources said the Samajwadi Party, which has 37 members in the Lok Sabha, had requested to chair a panel that comes under the Rajya Sabha's ambit. "Most of our members are first-timers in Lok Sabha and do not have the necessary Parliamentary experience to head a committee," a senior member argued.

The move is aimed at allowing Rajya Sabha MP and senior party leader Ramgopal Yadav to head the panel. In the last Lok Sabha, he headed the Standing Committee on Health.

संसदीय स्थायी समितियों के बारे में:

- संसदीय स्थायी समितियाँ भारतीय संसद में स्थायी समितियाँ हैं, जिनका गठन विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के विधेयकों, बजटों और नीतियों की जाँच करने के लिए किया जाता है।
- विभाग-संबंधित 24 संसदीय स्थायी समितियाँ हैं, जिनमें से 16 लोकसभा के अधीन और 8 राज्यसभा के अधीन हैं।
- ये समितियाँ सरकारी कार्यों की जाँच करने, विशेषज्ञ राय प्रदान करने और विस्तृत विधायी विश्लेषण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- सदस्यों में दोनों सदनों के सांसद शामिल होते हैं, जिनमें पार्टियों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है

- हालांकि उनकी सिफ़ारिशें बाध्यकारी नहीं होती हैं, लेकिन वे पूर्ण संसदीय सत्रों की तुलना में जटिल मुद्दों पर अधिक विस्तृत चर्चा की अनुमति देकर संसदीय बहस और निर्णयों को आकार देने में मदद करती हैं।

संसदीय स्थायी समितियों का महत्व:

- गहन जाँच: विधेयकों, बजटों और नीतियों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करें।
- गैर-पक्षपातपूर्ण चर्चाएँ: पार्टी लाइनों के पार आम सहमति बनाने को बढ़ावा दें।
- विशेषज्ञ इनपुट: विशेष ज्ञान के लिए विशेषज्ञ गवाहों को शामिल करें।
- जवाबदेही: पूछताछ के माध्यम से सरकार की जवाबदेही बढ़ाएँ।
- दक्षता: छोटे समूहों में मुद्दों की जाँच करके संसद के कार्यभार को कम करें।
- पारदर्शिता: विधायी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता लाना।
- विधायी गुणवत्ता: सिफारिशों के माध्यम से कानून की गुणवत्ता में सुधार लाना।

चुनौतियाँ:

- राजनीतिक प्रभाव: समितियों को राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी स्वतंत्रता कम हो सकती है।
- सीमित समय: तंग कार्यक्रम अक्सर बिलों और नीतियों की गहन जांच को प्रतिबंधित करते हैं।
- गैर-बाध्यकारी सिफारिशें: सरकारें समिति के सुझावों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं हैं।
- विशेषज्ञता की कमी: कुछ समिति सदस्यों में डोमेन-विशिष्ट ज्ञान की कमी हो सकती है, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- विलंबित गठन: समितियों के गठन में देरी विधायी निगरानी और जांच में बाधा डाल सकती है।
- संसाधन की कमी: सीमित शोध और तकनीकी सहायता गहन विश्लेषण को प्रभावित करती है।

आगे का रास्ता:

- स्वतंत्रता को मजबूत करना: निष्पक्ष सिफारिशों के लिए समितियों को राजनीतिक हस्तक्षेप के बिना काम करना चाहिए।
- विशेषज्ञता बढ़ाएँ: डोमेन विशेषज्ञों को शामिल करें या सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करें।
- समय पर गठन: विधायी जांच में देरी से बचने के लिए समितियों का समय पर गठन सुनिश्चित करें।
- सिफारिशों को बाध्यकारी बनाएँ: कुछ समिति सिफारिशों को अनिवार्य बनाने पर विचार करें।
- संसाधन बढ़ाएँ: विस्तृत विश्लेषण के लिए समितियों को बेहतर शोध और तकनीकी सहायता प्रदान करें।
- सार्वजनिक जुड़ाव: समिति चर्चाओं में पारदर्शिता और नागरिक भागीदारी को प्रोत्साहित करें।

UPSC Mains PYQ : 2023

प्रश्न: संसदीय समिति प्रणाली की संरचना की व्याख्या करें। वित्तीय समितियों ने भारतीय संसद के संस्थागतकरण में किस हद तक मदद की है?

Page 05 : GS 2 : Indian Polity – Judiciary

न्याय को और अधिक सुलभ बनाने के लिए उच्च न्यायालय की कार्यवाही में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करने की मांग बढ़ रही है।

- संवैधानिक प्रावधानों में इसकी अनुमति दिए जाने के बावजूद, न्यायाधीशों और वकीलों के बीच भाषा प्रवीणता के बारे में चिंताओं के कारण इसका कार्यान्वयन सीमित है।

Use of regional languages in HCs remains limited

Soibam Rocky Singh
NEW DELHI

In a growing movement to make justice accessible, lawyers and experts are increasingly advocating for the use of regional languages in High Court proceedings, where English remains the official language.

Out of 25 High Courts, only four – Rajasthan, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Bihar – are allowed to use Hindi in their proceedings.

In July, Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, while addressing a convocation function at Dr. Ram Manohar Lohiya National Law University in Lucknow, remarked that while judges and lawyers are familiar with English, many common citizens who bring their cases to court struggle to understand the legal process.

The Chief Justice also stated that in many countries, both legal education and proceedings are conducted in the regional language. This practice ensures that all citizens can access the legal system and aspire to become lawyers and judges.

As it stands, Article 348 (1) of the Indian Constitution mandates that all proceedings in the Supreme Court and High Courts be conducted in English, unless Parliament decides otherwise. Meanwhile, Article 348(2) allows the Governor of a State to authorise the use of Hindi or any other official language in the State's High Court, provided the President consents.

Out of 25 High Courts, only four are allowed to use Hindi in their proceedings and legal documents

Despite these constitutional provisions, the use of regional languages in High Courts remains limited. The issue was recently raised by MPs Dharmasthala Veerendra Heggade and Tejasvi Surya before the Rajya Sabha and Lok Sabha, respectively, in questions to the Minister of Law and Justice. They inquired about the steps taken or proposed to promote the use of local languages in court practices, procedures, and arguments.

Union Minister Arjun Ram Meghwal responded that the government had previously received proposals from Tamil Nadu, Gujarat, Chhattisgarh, West Bengal, and Karnataka to permit the use of regional language in the proceedings of their High Courts. The Chief Justice of India was consulted on these proposals and, in 2012, after thorough deliberation with other judges, decided not to accept them.

One primary concern is the impact on judges and lawyers who are not proficient in regional languages. Senior advocate Sanjay Hegde acknowledged this issue, citing an instance in the Bihar High Court where a lawyer insisted on speaking in Hindi, but the judge, unfamiliar with the language, faced difficulties.

"There are such problems, but they are generally few and far between. These issues can be resolved through understanding between the Bar and the Bench," he said.

उच्च न्यायालय में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग:

- वर्तमान स्थिति: केवल चार उच्च न्यायालयों (राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार) को अपनी कार्यवाही में हिंदी का उपयोग करने की अनुमति है, जबकि सभी उच्च न्यायालयों में अंग्रेजी आधिकारिक भाषा बनी हुई है।
- संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 348(1) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए अंग्रेजी को अनिवार्य बनाता है, जब तक कि संसद अन्यथा निर्णय न ले। अनुच्छेद 348(2) राज्य के राज्यपालों को राष्ट्रपति की सहमति से राज्य उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं को अधिकृत करने की अनुमति देता है।
- हाल की चर्चाएँ: भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने न्याय प्रणाली को आम नागरिकों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए कानूनी कार्यवाही में क्षेत्रीय भाषाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- प्रस्ताव: तमिलनाडु, गुजरात, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक ने अपने उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है। इन प्रस्तावों की समीक्षा की गई लेकिन 2012 में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

चुनौतियाँ:

- भाषा प्रवीणता: न्यायाधीशों और वकीलों में क्षेत्रीय भाषाओं में दक्षता की कमी हो सकती है, जिससे अदालती कार्यवाही में संचार संबंधी कठिनाइयाँ और अक्षमताएँ हो सकती हैं।
- एकरूपता के मुद्दे: विभिन्न भाषाओं में सुसंगत कानूनी शब्दावली और मानकों को सुनिश्चित करना जटिल हो सकता है, जो संभावित रूप से न्याय की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।
- प्रशिक्षण आवश्यकताएँ: न्यायाधीशों और कानूनी पेशेवरों को क्षेत्रीय भाषाओं में कुशल बनने के लिए व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो समय लेने वाला और महंगा हो सकता है।
- संसाधन की कमी: कई भाषाओं में केस लॉ और क़ानून जैसे कानूनी संसाधनों को विकसित करना और बनाए रखना, महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है।
- कानूनी दस्तावेज़ीकरण: कानूनी दस्तावेजों का अनुवाद करना और विभिन्न भाषाओं में सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इससे त्रुटियाँ हो सकती हैं।
- परिवर्तन का प्रतिरोध: अंग्रेजी के आदी कानूनी समुदाय से प्रतिरोध हो सकता है, जिससे देरी और विवाद हो सकते हैं।
- कार्यान्वयन के मुद्दे: विभिन्न उच्च न्यायालयों में भाषा परिवर्तनों का समन्वय और कार्यान्वयन करने में तार्किक जटिलताएँ और प्रशासनिक बाधाएँ शामिल हैं।

UPSC Prelims PYQ : 2021

प्रश्न: भारतीय न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है।
2. भारत में एक उच्च न्यायालय को अपने फैसले की समीक्षा करने का अधिकार है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: c)

Page 10 : Prelims Fact

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआई) जल्द ही देशभर में लॉन्च किया जाएगा, जिससे बिना किसी परेशानी के ऋण उपलब्ध कराया जा सकेगा।

- यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की तरह, जिसने देश में खुदरा भुगतान प्रणाली में क्रांति ला दी है, यूएलआई ऋण देने के परिदृश्य को बदल देगा।

What is the Unified Lending Interface by the RBI?

How will the ULI enable friction-less credit to farmers? How will it make things easier for lenders?

Lalatendu Mishra

The story so far:

The Reserve Bank of India (RBI), as part of its strategy to create digital public infrastructure in the country, has announced that a new technology platform called the Unified Lending Interface (ULI) would be introduced by the Reserve Bank Innovation Hub, Bengaluru which will enable friction-less credit to farmers and MSME borrowers to begin with.

What is ULI?

ULI is a platform that facilitates the seamless flow of a customer's digitised financial and non-financial data from multiple data service providers to lenders, making credit underwriting seamless and customer journeys frictionless for a diverse range of borrowers, according to Rajesh Bansal, CEO, Reserve Bank Innovation Hub. This platform facilitates seamless and consent based flow of digital information, including even land records of various States. This will also bring down the time taken for credit appraisal, especially for smaller and rural borrowers without any credit history. The ULI architecture has common and standardised Application Programming Interfaces (APIs) designed for a 'plug and play' approach to ensure digital access to information from diverse sources. This will reduce the complexity of multiple technical integrations besides enabling borrowers to get the benefit of seamless delivery of credit and quicker turnaround time without requiring extensive and time-consuming documentation.

Lenders would gain access to customer data from various silos, including government databases (for example, land records) and satellite imagery through standardised APIs. And FinTechs can gain access to a variety of lenders on one platform and unlock opportunities to provide deeper customer insights.

How will it work?

For first time loan seekers without any credit history or required documentation, availing a bank loan is near impossible. Now with ULI, digital credit information can be made available through a single platform which provides access to data providers and lenders to serve the needs of perspective borrowers.

While ULI facilitates access to data about the loan applicant's economic activities, it also allows financial sector players to access the data by connecting to the platform through a 'plug and play' model. Therefore, the loan applicants need not have to spend weeks to search and secure the documents. Instead the bank, the NBFC or the FinTech would fetch data about the applicant from sources available on the ULI platform.

For a dairy farmer seeking a loan, the lender can find data from the milk cooperative to know about cash flows; land ownership status from land records of States; and insights into his financial condition through farming patterns. So what was once a blind spot for the lender would turn into a visible customer to do business with. With the help of ULI, the lenders can immediately know the income of the loan applicant and credit eligibility. Thus decision making would be automated and loans could be sanctioned and disbursed within minutes.

Tenant farmers who often find it difficult to access agricultural credit for inputs and raw materials as they do not have the land title to submit to the banks can also avail loans. By programming the end use for purchase of agricultural inputs, the ULI platform can give the required comfort to banks and thus establish the identity of a farmer not through his land holding but through the end use of funds being disbursed.

How did it start?

The RBI had on August 10, 2023 announced the setting up of a Public Tech Platform for Frictionless Credit which is now branded as the ULI. The central bank was of the view that with rapid progress in digitalisation, data required for credit appraisal must be available at a single point for digital credit delivery.

To address this situation, a pilot project for the digitalisation of Kisan Credit Card (KCC) loans of less than ₹1.6 lakh began in September 2022. The initial results of the KCC pilot, which got underway in select districts of Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, U.P., Maharashtra, were encouraging. According to the RBI, the pilot enabled doorstep disbursement of loans in assisted or self-service mode without any paperwork.

THE GIST

- ULI is a platform that facilitates the seamless flow of a customer's digitised financial and non-financial data from multiple data service providers to lenders, making credit underwriting seamless and customer journeys frictionless for a diverse range of borrowers, according to Rajesh Bansal, CEO, Reserve Bank Innovation Hub.
- While ULI facilitates access to data about the loan applicant's economic activities, it also allows financial sector players to access the data by connecting to the platform through a 'plug and play' model.
- Tenant farmers who often find it difficult to access agricultural credit for inputs and raw materials as they do not have the land title to submit to the banks can also avail loans.

पृष्ठभूमि जिसमें यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) का विचार विकसित हुआ:

- डिजिटलीकरण में तेजी से प्रगति के साथ, भारत ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) की अवधारणा को अपनाया है जो बैंकों, NBFC, फिनटेक कंपनियों और स्टार्ट-अप को अभिनव समाधान बनाने और प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
  - o भुगतान,
  - o ऋण, और
  - o अन्य वित्तीय गतिविधियाँ।
- डिजिटल ऋण वितरण के लिए, ऋण मूल्यांकन के लिए आवश्यक डेटा केंद्र और राज्य सरकारों, खाता एग्रीगेटर, बैंकों, क्रेडिट सूचना कंपनियों और डिजिटल पहचान प्राधिकरणों जैसी विभिन्न संस्थाओं के पास उपलब्ध हैं।
- चूंकि ये डेटा सेट अलग-अलग प्रणालियों में हैं, इसलिए यह नियम-आधारित ऋण की घर्षण रहित और समय पर डिलीवरी में बाधा उत्पन्न करता है।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) 1.6 लाख रुपये से कम के ऋणों के डिजिटलीकरण के लिए एक पायलट परियोजना 2022 में शुरू हुई।

- KCC पायलट के शुरुआती परिणाम उत्साहजनक थे क्योंकि इसने बिना किसी कागजी कार्रवाई के ऋण के डोरस्टेप वितरण को सक्षम किया।
- 2023 में, RBI ने फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए एक पब्लिक टेक प्लेटफ़ॉर्म की स्थापना की घोषणा की थी जिसे अब ULI के रूप में ब्रांडेड किया गया है।

यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस (ULI) क्या है?

- के बारे में: ULI प्लेटफ़ॉर्म कई डेटा सेवा प्रदाताओं से ऋणदाताओं तक विभिन्न राज्यों के भूमि रिकॉर्ड सहित डिजिटल जानकारी के निर्बाध और सहमति-आधारित प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा।

उद्देश्य:

- यह विशेष रूप से छोटे और ग्रामीण उधारकर्ताओं के लिए ऋण मूल्यांकन के लिए लगने वाले समय को कम करेगा।
- इसका उद्देश्य लागत में कमी, त्वरित संवितरण और मापनीयता के संदर्भ में ऋण प्रक्रिया में दक्षता लाना है।

कार्य:

- ULI आर्किटेक्चर में सामान्य और मानकीकृत API (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस) हैं, जिन्हें विभिन्न स्रोतों से जानकारी तक डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करने के लिए 'प्लग एंड प्ले' दृष्टिकोण के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- उदाहरण के लिए, ऋण लेने वाले डेयरी किसान का उदाहरण लें। ऋणदाता दूध सहकारी समिति से डेटा प्राप्त कर सकता है ताकि पता चल सके -
  - o नकदी प्रवाह;
  - o राज्यों के भूमि रिकॉर्ड से भूमि स्वामित्व की स्थिति; और
  - o खेती के पैटर्न के माध्यम से उसकी वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी।
- इस प्रकार, यूएलआई की मदद से ऋणदाता तुरंत ऋण आवेदक की आय और ऋण पात्रता जान सकते हैं।
- इस प्रकार, निर्णय लेने की प्रक्रिया स्वचालित होगी और ऋण मिनटों में स्वीकृत और वितरित किए जा सकेंगे।

महत्व:

- यह प्लेटफॉर्म ग्राहक के वित्तीय और गैर-वित्तीय डेटा तक पहुँच को डिजिटल बनाकर कई तकनीकी एकीकरण की जटिलता को कम करेगा, जो अन्यथा अलग-अलग साइलो में रहता था।
- इससे विभिन्न क्षेत्रों में ऋण की बड़ी अधूरी मांग को पूरा करने की उम्मीद है, खासकर कृषि और एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए।
- किराएदार किसान जिन्हें अक्सर कृषि ऋण तक पहुँचने में कठिनाई होती है, वे भी अपनी पहचान स्थापित करके ऋण प्राप्त कर सकते हैं, न कि अपनी ज़मीन के ज़रिए बल्कि वितरित किए जा रहे धन के अंतिम उपयोग के ज़रिए।
- JAM-UPI-ULI की 'नई त्रिमूर्ति' भारत की डिजिटल अवसंरचना यात्रा में एक क्रांतिकारी कदम होगी।
- JAM (जन धन, आधार और मोबाइल) त्रिमूर्ति सरकार द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे नकद लाभ हस्तांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है।

UPSC Prelims PYQ : 2015

प्रश्न: 'प्रधानमंत्री जन-धन योजना' किसके लिए शुरू की गई है (2015)

(a) गरीब लोगों को सस्ती ब्याज दरों पर आवास ऋण उपलब्ध कराना
(b) पिछड़े क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना
(c) देश में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना
(d) हाशिए पर पड़े समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

उत्तर: (c)

GEO IAS
It's about quality

Term In News : Thanjavur Veena

तमिलनाडु का तंजावुर, वीणा बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जो भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला संगीत वाद्ययंत्र है।

About Thanjavur Veena:

	विवरण
प्रकार	सरस्वती वीणा (एक शास्त्रीय तार वाला संगीत वाद्ययंत्र)
जीआई टैग	2012 में प्राप्त हुआ।
क्राफ्टिंग सामग्री	कटहल की लकड़ी, जो अपनी प्रतिध्वनि और स्वर गुणवत्ता के लिए जानी जाती है।
उत्पादन प्रक्रिया	- लकड़ी को काटा जाता है, तराशा जाता है, आकार दिया जाता है और जोड़ा जाता है। - पूरा होने में 15-20 दिन लगते हैं। - इसमें तीन भाग शामिल हैं: अनुनादक (कुडम), गर्दन (दंडी), और ट्यूनिंग बॉक्स।

वीणा के अन्य प्रकार	- सरस्वती वीणा (कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त) - रुद्र वीणा और विचित्र वीणा (हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त) - चित्रा वीणा (कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त)

UPSC Prelims PYQ : 2021

प्रश्न: भारत के संदर्भ में, 'हल्बी, हो और कुई' शब्द निम्नलिखित से संबंधित हैं:

(a) उत्तर-पश्चिम भारत के नृत्य रूप
(b) संगीत वाद्ययंत्र
(c) प्रागैतिहासिक गुफा चित्र
(d) आदिवासी भाषाएँ

उत्तर: d)

GEO IAS
It's about quality

Page : 08 Editorial Analysis

The Disaster Management (Amendment) Bill is knotty

On August 1, 2024, the central government introduced the Disaster Management (Amendment) Bill in the Lok Sabha. Brought in in the wake of climate-induced disasters, the Bill shows much evidence of a further centralisation of an already heavily-centralised Disaster Management Act, 2005. This Act, in its current form, already mandates the creation of many authorities and committees at the national, State and district levels. The proposed Bill further provides statutory status to pre-act organisations such as the National Crisis Management Committee and a High Level Committee, complicating the chain of action to be followed in case of disasters. A repercussion of this top-down approach is seen when there is a delayed response to disasters, antithetical to the intent and purpose of the Act.

The Bill claims to strengthen the working of the National Disaster Management Authority and the State Disaster Management Authorities to prepare State and national level plans. It also establishes an 'Urban Disaster Management Authority' for State capitals and cities with municipal corporations. However, this intended decentralisation of functions without the necessary financial devolution creates more problems than it solves.

Centralisation as a concern

The amendment Bill goes on to dilute the wording of the National Disaster Response Fund by removing the purposes for which the fund shall be used. One of the major concerns of the Disaster Management Act has been the excess centralisation of decision making on funds, especially in situations where the disaster is severe. The severity of the disaster must necessitate a prompt response by the central government, currently absent in the Act. A similarly delayed response was witnessed when the disaster relief funds from the NDRF were denied to Tamil Nadu and disbursed much later to Karnataka.

In the backdrop of a looming climate crisis, there is a need to revisit the very idea of disasters under the Disaster Management Act, 2005.

Prathiksha Ullal

a Research Fellow at the Vidhi Centre for Legal Policy, where she works on issues concerning urban governance, education, environment and gender

Sneha Priya Yanappa

a Senior Resident Fellow and leads the Karnataka Team at the Vidhi Centre for Legal Policy

The Bill only strengthens the top-down approach, affecting vital cooperative federalism in disaster management

Restricted definition of 'disaster'

On July 25, 2024, the Minister of State of Science, Technology and Earth Sciences, in response to questions posed in the Lok Sabha, said that the government is currently not planning to classify heatwaves as a notified disaster under the Disaster Management Act, 2005. This statement concurs with the observations of the 15th Finance Commission which did not find merit in expanding the scope of notified disasters. The notified list of disasters eligible for assistance under the National Disaster Response Fund/State Disaster Response Fund are cyclone, drought, earthquake, fire, flood, tsunami, hailstorm, landslide, avalanche, cloud burst, pest attack, frost and cold wave.

This strict iteration of what constitutes a "disaster" in the times of climate change marks a sharp departure from the global narrative. Globally, there is enough consensus to classify heatwaves as climate-related disasters, given their ramifications on ecosystems and human health. According to the India Meteorological Department data, India had 536 heatwave days which is the highest number of heatwave days in almost 14 years. Rising heatwave days along with 10,635 human deaths due to heat or sunstroke in 2013-2022 portends a larger disaster in the making for the country.

The Disaster Management Act, 2005 and the proposed Bill fall short as the definition of a disaster (although wide enough to cover the idea of climate-induced disasters) remains restricted and static. This is because the notified list of disasters under the Act restricts the inclusion of climate-induced disasters such as heatwaves which display regional variability and gradation specific to a geographical area. For example, a normal summer temperature of 40° C in several north Indian States may classify as heatwave conditions in the Himalayas. The definition however, is also not inclusive enough to be able to interpret a prolonged heatwave episode to be considered as a natural disaster even if its impacts are akin to an actual disaster such as floods in terms of the loss of human life. This poses a problem as the very nature of climate-induced disasters is incongruous to the idea of a traditional disaster under the Disaster Management Act, 2005 and the proposed Bill. The incongruity is exacerbated by the localised nature and impact of climate-induced disasters.

Relevant issues

However, some questions are still valid. Is the proposed Bill adept to tackle contemporary challenges arising due to the disproportionate power dynamics between the central and State governments? Do States have to largely depend on the central government for the disbursal of funds? If the Bill claims to be an improvised version of the Disaster Management Act, 2005, it does very little in learning from the failures encountered during the implementation of the Act while dealing with past disasters. There is a need to re-visit the Centre's efforts in addressing the issue of financial preparedness when it comes to the management of and response to disasters. The conversation should not revolve around whether the Centre or State is responsible for the loss of lives in Wayanad, Kerala, but what is it that can be done to manage disasters and predict their future occurrence. After all, a blame game will only move away from realising the true spirit of cooperative federalism.

GS Paper 03 : आपदा एवं आपदा प्रबंधन

(UPSC CSE (M) GS-3 : 2020) भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन में पहले के प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण से हटकर हाल ही में शुरू किए गए उपायों पर चर्चा करें। (250 w/15m)

UPSC Mains Practice Question भारत में संघवाद और विकेन्द्रीकृत आपदा प्रतिक्रिया पर आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 के निहितार्थों पर चर्चा करें, जिसमें हीटवेव जैसी जलवायु-प्रेरित आपदाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। (250 w /15 m)

संदर्भ:

- 2008-2010 के बीच, भारत ने अपने पड़ोस में लोकतंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- हालाँकि, 2024 तक, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार जैसे देशों में राजनीतिक उथल-पुथल ने भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को चुनौती दी है, जिससे निरंतर जुड़ाव और अपनी कूटनीतिक रणनीतियों के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है।

विधेयक के बारे में मुख्य विवरण

- कार्रवाई की जटिल श्रृंखला: प्रस्तावित विधेयक राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और एक उच्च स्तरीय समिति जैसे पूर्व-कार्य संगठनों को वैधानिक दर्जा प्रदान करता है, जिससे आपदाओं के मामले में भ्रम की स्थिति पैदा होती है।
- इस शीर्ष-से-नीचे के दृष्टिकोण का दुष्परिणाम तब देखा जाता है जब आपदाओं के प्रति प्रतिक्रिया में देरी होती है, जो अधिनियम के इरादे और उद्देश्य के विपरीत है।
- योजना बनाने की शक्तियाँ देना: राज्य और राष्ट्रीय स्तर की योजनाएँ तैयार करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के कामकाज को मजबूत करना।
- प्राधिकरणों का निर्माण: यह राज्य की राजधानियों और नगर निगमों वाले शहरों के लिए एक 'शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण' की भी स्थापना करता है।

केंद्रीकरण चिंता का विषय

- आवश्यक वित्तीय हस्तांतरण के बिना कार्यों का इच्छित विकेंद्रीकरण समस्याओं को हल करने की अपेक्षा अधिक समस्याएँ पैदा करता है:
  - o विधेयक में अस्पष्ट शब्द: संशोधन विधेयक राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के शब्दों को कमजोर करता है, जिसके लिए निधि का उपयोग किया जाएगा।
  - o केंद्रीकरण की प्रवृत्ति: आपदा प्रबंधन अधिनियम की प्रमुख चिंताओं में से एक निधियों पर निर्णय लेने का अत्यधिक केंद्रीकरण रहा है, खासकर उन स्थितियों में जब आपदा गंभीर होती है।
- आपदा गंभीरता कोडिंग का अभाव: आपदा की गंभीरता के लिए केंद्र सरकार द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, जो वर्तमान में अधिनियम में अनुपस्थित है।
- धन का इनकार: देरी से प्रतिक्रिया तब देखी गई जब एनडीआरएफ से आपदा राहत निधि तमिलनाडु को देने से इनकार कर दिया गया और कर्नाटक को बहुत बाद में वितरित किया गया।
- मुख्य चिंता: आसन्न जलवायु संकट की पृष्ठभूमि में, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपदाओं के मूल विचार पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
- 'आपदा' की सीमित परिभाषा: सरकार वर्तमान में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत हीटवेव को अधिसूचित आपदा के रूप में वर्गीकृत करने की योजना नहीं बना रही है।
- अधिसूचित आपदाओं के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता: राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष/राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र आपदाओं की अधिसूचित सूची में चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला, पाला और शीत लहर शामिल हैं।
- हीटवेव परिदृश्य: पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर उनके गंभीर प्रभाव के कारण हीटवेव को व्यापक रूप से जलवायु-संबंधी आपदाओं के रूप में पहचाना जाता है।

- भारत ने लगभग 14 वर्षों में रिकॉर्ड 536 हीटवेव दिनों का अनुभव किया, जिसमें 2013 और 2022 के बीच गर्मी या सनस्ट्रोक से 10,635 मौतें हुईं, जो देश के लिए आसन्न बड़ी आपदा का संकेत है।
- हीटवेव को आपदा के रूप में शामिल करने से संबंधित चिंताएँ: आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और प्रस्तावित विधेयक अपर्याप्त हैं क्योंकि आपदाओं की उनकी स्थिर परिभाषा हीटवेव जैसी जलवायु-प्रेरित घटनाओं को शामिल करने को सीमित करती है, जो क्षेत्रीय रूप से भिन्न होती हैं और कुछ क्षेत्रों के लिए विशिष्ट होती हैं।
- हीटवेव का वर्गीकरण: कई उत्तर भारतीय राज्यों में 40 डिग्री सेल्सियस का सामान्य ग्रीष्मकालीन तापमान हिमालय में हीटवेव की स्थिति के रूप में वर्गीकृत हो सकता है।
- अधिनियम में हीटवेव की परिभाषा से संबंधित चिंताएँ: यह लंबे समय तक चलने वाली हीटवेव को प्राकृतिक आपदा के रूप में मान्यता देने में भी विफल रहता है जलवायु से संबंधित ऐसी घटनाओं की स्थानीय प्रकृति और प्रभाव के कारण समस्या और भी बदतर हो जाती है।

आपदा की सीमित परिभाषा

- 25 जुलाई, 2024 को सरकार ने कहा कि हीटवेव को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित आपदा के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
- आपदाओं की अधिसूचित सूची में चक्रवात, भूकंप और बाढ़ जैसी पारंपरिक प्राकृतिक आपदाएँ शामिल हैं, लेकिन हीटवेव जैसी जलवायु-प्रेरित आपदाएँ इसमें शामिल नहीं हैं।
- यह वैश्विक आम सहमति के विपरीत है, जहाँ हीटवेव को जलवायु से संबंधित आपदाओं के रूप में मान्यता दी जाती है।

अधिसूचित आपदा के बारे में:

- भारत में, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, आपदा को प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों से उत्पन्न होने वाली "आपदा, दुर्घटना, विपत्ति या गंभीर घटना" के रूप में परिभाषित करता है, जिसके परिणामस्वरूप जान-माल का भारी नुकसान होता है, संपत्ति का विनाश होता है या पर्यावरण को नुकसान होता है।
- वर्तमान में 12 आपदाओं को अधिसूचित आपदा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्: चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट हमला और पाला और शीत लहर।
- वर्तमान में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष/राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) सहायता के लिए पात्र आपदाओं की अधिसूचित सूची।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां, योजनाएं और दिशा-निर्देश तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- इसका उद्देश्य निरंतर और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से होने वाले नुकसान और विनाश को कम करने के लिए राष्ट्रीय संकल्प को बढ़ावा देना है।